



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गरिमा शर्मा RAS)

प्रकरण संख्या:- 201/2025

जी.सी.एम.एस नं० 2025/592

वादीगण

प्रतिवादीगण

1. चन्दगीराम झाझरिया पुत्र स्व० जालूराम झाझरिया एचयूएफ जाति जाट निवासी प्लाट नम्बर 193, वार्ड नम्बर 83, इस्कान रोड, गिरिराज नगर, मानसरोवर जयपुर।
2. सुरेश चन्द शर्मा पुत्र हरमुखराय शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी भास्कर हाउस, तुंगा रोड, नियर अनाज मण्डी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. कंचन शर्मा पत्नी सुरेशचन्द शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी भास्कर हाउस, तुंगा रोड, नियर अनाज मण्डी ग्राम कल्याणपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

1. कैलाश पुत्र श्रीनारायण जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी, तहसील बस्सी जिला जयपुर।



दावा अन्तर्गत धारा 53, 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री राजेश कुमार शर्मा, एड० वादीगण।

श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत, एड० प्रतिवादी संख्या 1

पर्चा डिक्री

दिनांक 14/11/2025

दावा वादीगण तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा आराजी खाता संख्या 131 खसरा नम्बर 256 रकबा 1.0875 हैक्टेयर के ग्राम मानसर खेडी पटवार हल्का मानसर खेडी तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा पेश राजीनामा के अनुसार डिक्री किया जाता है। राजीनामा में पेश नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 14.11.2025 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

यह निर्णय आज दिनांक 14/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।



(डॉ. गरिमा शर्मा R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी बस्सी  
जिला जयपुर